गर्मियों के लिए प्रशासन की तैयारी शुरू, दो स्थानों पर लगाए हैण्डपम्प

पालीवाल चौक, अचार वाला सहराना सहित गढ़ी की टंकी से पानी की सप्लाई सुचारू

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 15 मई। कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा द्वारा ग्रीष्मकाल में पेयजल की उपलब्धता के संबंध में किये जा रहे उपायो के तहत अब पीएचई विभाग द्वारा पेयजल स्त्रोतों तथा हैंडपम्पों की मरम्मत के संबंध में प्रतिदिन पेयजल बुलेटिन जारी किया जायेगा।

इन निर्देशों के क्रम में कार्यपालन यंत्री एलपी सिंह द्वारा बताया गया है कि 11 हैंडपम्पों की मरम्मत कर सुधार किया गया है तथा आदिवासी ब्लॉक कराहल के नाई मोहल्ला, पालीवाल चौक, गढी तथा अचार वाला सहराना, उगना सहराना में जल जीवन मिशन के तहत स्थापित पानी की टंकियों से पेयजल सप्लाई पूर्व से ही सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने बताया कि आम वाला सहराने में स्थित टंकी पर केबल जल जाने से पानी की सप्लाई में अवरोध हुआ है, उसे शुक्रवार तक मरम्मत कर इस टंकी से भी पेयजल की सप्लाई बहाल कर दी जायेगी।

उन्होंने बताया 13 मई को कराहल विकासखण्ड क्षेत्र के ग्राम चितारा, शंकरपुर, अजनोई, डाबली में 4 हैंडपम्पों की मरम्मत कर उन्हें चालू किया गया है। इसी प्रकार श्योपुर विकासखण्ड के ग्राम गुरनावदा, अडवाड, गुढा, प्रेमसर एवं बमूली गुसाई में 7 हैंडपम्प संधारित कर शुरू किये गए हैं।

कन्ट्रोल रूम पर दें सूचना

कार्यपालन यंत्री एलपी सिंह ने बताया कि पेयजल संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए पीएचई कार्यालय श्योपुर में स्थापित जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम में सूचना दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि प्रातः 08 से दोपहर 02 बजे तक घनश्याम वर्मा मो.न. 9893938596 एवं दोपहर 02 बजे से रात्रि 08 बजे तक रामदयाल टैगोर मो.न. 9753287281 पर उपलब्ध रहेंगे। शनिवार-रविवार एवं अन्य अवकाश के दिनो में बीरबल राजौरिया मो.न. 9827009427 सुबह 08 से रात्रि 08 बजे तक मौजूद रहेगे। इन दूरभाष नंबरों पर सूचना प्रदान की जा सकती है।

17 हैंडपम्पों की मरम्मत कर चालू किए

श्योपुर, 15 मई। निर्देशों के क्रम में कार्यपालन यंत्री एलपी सिंह द्वारा बताया गया है कि 14 मई को 17 हैंडपम्पों की मरम्मत कर सुधार किया गया। उन्होंने बताया 14 मई को श्योपुर विकासखण्ड के ग्राम बर्धाबुजुर्ग में नहर वाला, माता का सहराना, टंकी के पास एवं बर्धा रोड किनारे के हैंडपम्पों की मरम्मत कर उन्हें चालू किया गया है। इसी प्रकार दांतरदा खुर्द के जूलानियापुरा में, भीकापुर में प्राथमिक शाला वाला हैंडपम्प, जाटखेडा में माता जी वाला तथा अजापुरा में रोड वाला हैंडपम्प की मरम्मत कर संधारित किया गया है। कराहल विकासखण्ड के ग्राम हनुमानखेडा में, हीरापुर के भट्टी का सहराना में, गिरधपुर स्थित चंबल कॉलोनी में तथा मार का सहराना में, हीरापुर के उगना सहराना एवं काला खदान सहराना में स्थित हैंडपम्पों का सुधारकर उन्हें पुन: उपयोगी बनाया गया है। इसी प्रकार विजयपुर विकासखण्ड के ग्राम शिवलालपुरा में सिथैयापुरा में डीपी के पास तथा मैन रोड वाले हैंडपम्प की मरम्मत कराई गई है।

जल संरक्षण की ली शपथ

कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा के मार्गदर्शन तथा सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद के निर्देशन में संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत एनआरएलएम अंतर्गत संचालित स्वसहायता समूहों की महिलाओं द्वारा जल संरक्षण की शपथ ली गई। अन्नपूर्णा संकुल स्तरीय संगठन आवदा एवं जीवन ज्योति संकुल स्तरीय संगठन मानपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान समूह की महिलाओं द्वारा जल संरक्षण की शपथ ली गई। इस अवसर पर कॉर्डिनेटर अनुज विजयवर्गीय उपस्थित रहें।

गुरनावदा बावड़ी का जीर्णोद्वार कार्य जारी

श्योपुर, 15 मई। कलेक्टर सुश्री दाहिमा के मार्गदर्शन एवं सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद के निर्देशन में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्राचीन कुओं एवं एतिहासिक बावडियों के जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरनावदा स्थित प्राचीन बावड़ी की साफ-सफाई सहित रंग रोगन कर बावड़ी को आकर्षक बनाने का कार्य संचालित है। परियोजना अधिकारी मनरेगा विक्रम जाट ने बताया कि अभियान के तहत ग्राम पंचायत गुरनावदा में स्थित प्राचीन बावड़ी की मरम्मत कर प्राकृतिक जल स्त्रोतों को सफाई कार्य किया गया है। साथ ही बावडी का रंग रोगन कर उसे आकर्षक बनाने का कार्य किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि एतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस बावड़ी का निर्माण राजा मनोहरदास गौड़ ने विक्रम संवत 1736 (सन 1679 ई.) में करवाया था।

बिना हेलमेट वाहन चालकों के काटे चालान

672 चालान कर वसूले 201600

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 15 मई। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार अग्रवाल के निर्देश पर श्योपुर पुलिस का 26 अप्रैल से 10 मई तक पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा हेलमेट की अनिवार्यता सुनिश्चित करने हेतु संचालित विशेष अभियान के अंतर्गत बिना हेलमेट धारण किए दुपहिया वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध चौंकिग अभियान संचालित किया गया। जिले के समस्त थानों के द्वारा 26 अप्रैल से 10 में तक अभियान में कुल 672 वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही कर 201600 रुपए का समन शुल्क किया शासन कोष में जमा।

सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा यातायात व्यवस्था को सुगम व सुरक्षित बनाने एवं जिलों में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर में कमी लाए जाने के उद्देश्य से 26 अप्रैल से 1 मई तक विशेष हेलमेट चौकिंग एवम् जागरूकता अभियान चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के परिपालन में सुधीर कुमार अग्रवाल पुलिस अधीक्षक जिला श्योपुर के निर्देशन में अभियान के अंतर्गत पृथक-पृथक चिन्हित स्थानों पर थाना यातायात से निरीक्षक संजय सिंह राजपूत थाना प्रभारी यातायात के द्वारा सूबेदार अनिल बाथम, जितेंद्र शर्मा, राम बिहारी परमार, देवेंद्र सिंह जादौन एवं हमराही यातायात बल के साथ तथा अन्य शहर एवं देहात के समस्त थानों के थाना प्रभारीयो तथा उनके हमराही बल के साथ वाहन चौकिंग कर बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले चालकों की चेकिंग कर अनियमितता पाए जाने पर अभियान में कुल 672 चालान बनाया जाकर 201600 का समन शुल्क जुर्माना जमा किया गया। साथ ही विभिन्न स्कूलों एवं सार्वजनिक स्थानों पर विद्यार्थियों व नागरिकों को हेलमेट न लगाने के नुकसान के बारे में सचेत किया। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने के प्रति लोगों को प्रेरित किया। साथ ही 25 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन हेतु जिला परिवहन अधिकारी की ओर प्रेषित किए गए।'

श्योपुर पुलिस की जिले के नागरिकों से अपील है कि आप यातायात के समस्त नियमों का पालन करें। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट तथा चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट आवश्यक रूप से धारण करें। ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेस, परमिट आदि जरूरी दस्तावेज आवश्यक रूप से साथ में रखें। निर्धारित गति सीमा से तेज गति से तथा खतरनाक ढंग से वाहन न चलाएं। वाहनों में क्षमता से अधिक सवारी न बिठाये तथा शराब पीकर वाहन न चलाएं। स्वयं भी सुरक्षित रहें एवम् दूसरों को भी सुरक्षित यात्रा अवसर दें।

जांच में अवमानक मिला दूध, 20 हजार का जुर्माना

श्योपुर, 15 मई। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रूपेश उपाध्याय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियमों के तहत अवमानक खाद्य पदार्थ का संग्रहण एवं विक्रय करने का आरोप प्रमाणित होने पर चौथमल प्रजापति निवासी वार्ड नंबर 12 फर्म दीपक दूध डेयरी पुराना बस स्टैण्ड के पास बडौदा रोड श्योपुर पर 20 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार जैन द्वारा उक्त फर्म से नमूने लिये गये थे, जिसमें गाय एवं भैस के मिश्रित दूध का नमूना खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल की जांच रिपोर्ट में अवमानक स्तर का पाया गया, इस मामले में उक्त दूध डेयरी संचालक पर अधिनियम की धारा 51 के तहत 20 हजार रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

गर्मियों के इस मौसम में पक्षियों को मिल रही राहत

दाना-पानी अभियान के तहत पेड़ों, छायादार स्थानों पर ग्रामीण भी लगा रहे सकोंरे

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 15 मई। कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा की पहल पर गर्मियों के दौरान शुरू किये गये दाना-पानी अभियान जन समर्थन के साथ आगे बढ रहा है, अभियान के तहत लोग बेजुबान पक्षियों के लिए दाने एवं पानी के लिए सकोंरे रख रहे है। जहां लोग अपने घरों की छत, दालानों सहित अन्य छायादार स्थानों पर सकोरे लगा रहे है, वही शासकीय कार्यालयों के परिसरों, सार्वजनिक उद्यानों, सहकारी संस्थाओं तथा एनआरएलएम से जुडे स्वसहायता समूहों की महिलाओं सहित ग्रामीण महिलाओं द्वारा पक्षियों के लिए जल पात्र लगाने की पहल की गई है।

गर्मियों के इस मौसम में जिला प्रशासन की पहल पर शुरू हुए दाना पानी अभियान से पक्षियों को राहत मिल रही है। अभियान के तहत पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री पुष्कल प्रताप सिंह द्वारा रेस्टहाउस के बगीचे में पक्षियों के पानी पीने की व्यवस्था के लिए एक छोटा सा थाला बनवाया गया है, जिसमें रोजाना पानी भरा जाता है। इस जल स्त्रोत पर पक्षी दिनभर पानी पीने के लिए आ रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि ग्रीष्मकाल में पक्षियों के लिए पानी व दाने की उपलब्धता सुगम बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा द्वारा सभी सामाजिक संस्थाओं, कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों सहित नागरिकों से पक्षियों के लिए सुलभ स्थानों पर सकोरे लगाने की अपील की गई थी। जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आये है और शहर से लेकर गांव तक लोगों ने सकोरे लगाने की पहल की है।

एक नजर में

परीक्षा केंद्रों का डीईओ ने किया निरीक्षण

श्योपुर, 15 मई। माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षाओं के सुचारु एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी यश जैन द्वारा परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संदीपनी विद्यालय श्योपुर एवं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कराहल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान परीक्षा कक्षों की व्यवस्था, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, पेयजल, बैठक व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का अवलोकन किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी यश जैन ने केंद्राध्यक्षों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा पूर्ण पारदर्शिता एवं अनुशासन के साथ संपन्न कराई जाए तथा विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

इलाज दौरान एक की मृत्यु

श्योपुर, 15 मई। थाना गसवानी मर्ग सू. कर्ता आर. 86 रंजीत राठौर ने बताया कि दिनांक 7.4.26 के 00.55 बजे स्थान एस .एम. एस. अस्पताल जयपुर राजस्थान पर मृतक प्रदीप पुत्र रामस्वरूप खंडेलवाल उम्र 50 साल निवासी वार्ड क्रमांक 6 श्योपुर की मृत्यु एक्सीडेंट में आई चोटों के कारण दौरान इलाज मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शादी विवाह की बात पर मारपीट

श्योपुर, 15 मई। थाना देहात मारपी फरि.रामअवतार पुत्र मनसा बंजारा उम्र 40 साल नि. ग्राम मल्होत्रा ने रिपोर्ट की कि दिनांक 12.5.26 के 19.30 बजे स्थान फरियादी के घर के बाहर ग्राम मल्होत्रा पर आरोपीगण लख्खा बंजारा, गिर्राज बंजारा निवासीगण ग्राम मल्होत्रा देहात में फरियादी एवं फरियादी की पत्नी को शादी विवाह की बात पर मारपीट की गलियां दी एवं जान से मारने की धमकी दी, पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है।

वाहन तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी

श्योपुर, 15 मई। थाना विजयपुर सड़क दुर्घटना फरि.नवल सिंह पुत्र रामहेत शाक्य उम्र 29 साल नि. अंधुपुरा थाना विजयपुर ने रिपोर्ट की दि. 3.5.26 के 22.30 बजे स्थान राव जाटव के मकान के सामने ग्राम सुनवई पर आरोपी मो.सा. चालक क्र.एमपी 31 जेड डी 4442 का अज्ञात चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर फरि. की मो.सा. में टक्कर मार दी जिससे फरियादी घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में बीएनएस कायम कर कर लिया है।

दुर्घटना, अस्पताल ले जाते एक की मृत्यु

श्योपुर, 15 मई। थाना रघुनाथपुर मर्ग सू. कर्ता गोकुल पुत्र मोती जाटव उम्र 38 साल नि.चौनपुरा ने बताया कि दि. 12 .5.26 के 17.38 बजे स्थान रास्ते में गिरधरपुर के पास रघुनाथपुर पर मृतक विनोद पुत्र मोती जाटव उम्र 22 साल नि. चौनपुरा की मृत्यु एक्सीडेंट में आई चोटों के कारण अस्पताल में ले जाते समय हो गई दिनांक 12 .5.26 के 18.00 बजे मर्ग.क्र. 31/26 धारा 194 बीएनएस कायम कर लिया है।

विदाई करने की बात पर मारपीट

श्योपुर, 15 मई। थाना बड़ौदा मारपीट फरि. ब्रज मोहन पुत्र किशन लाल केवट उम्र 57 साल नि. ग्राम रूण्डी बड़ौदा ने रिपोर्ट की दि. 12.5 .26 के 13.00 बजे स्थान फरि. के नदी किनारे वाला खेत पर आरोपी भगवान केवट नि. ग्राम रूण्डी थाना बड़ौदा में फरियादी को लड़के की विदाई करने की बात पर गालीयां दी मारपीट की एवं जान से मारने की धमकी दी।

पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट

श्योपुर, 15 मई। मोहम्मद दिलशाद पुत्र गफ्फूर उम्र 48 साल नि वार्ड क्र. 16 इस्लामपुर श्योपुर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दि.11.5.26 के 22.00 बजे स्थान न्यू बस स्टैंड श्योपुर पर आरोपी चांदखा पुत्र नजर अली निवासी ग्राम पीपलदी थाना देहात ने फरियादी के लड़के को पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की गालियां दी। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नदी में डूबने से एक की मौत

श्योपुर, 15 मई। थाना सेसईपुरा मर्ग सू.कर्ता सुल्तान पुत्र कालू बंजारा उम्र 45 साल नि. पनवाड़ा ने बताया कि दिनांक 11.5.26 के 19.20 स्थान जिला अस्पताल श्योपुर पर मृतक जगदीश पुत्र सुल्तान बंजारा उम्र 22 साल निवासी पनवाड़ की मृत्यु कूनो नदी में डूबने से हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

मानपुर गौशाला में काउ लिफ्टिंग मशीन से होगा बीमार गौवंश का इलाज

गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास जारी

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 15 मई। मध्यप्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा के मार्गदर्शन तथा सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद के निर्देशन में जिले में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सतत् रूप से प्रयास किये जा रहे है। इसके साथ ही गौशालाओं में तकनीकी का इस्तेमाल कर गौशाला प्रबंधन को ओर अधिक बेहतर बनाया जा रहा है। मानपुर की गौशाला में गौवंश के व्यवस्थित रखरखाव एवं तत्काल उपचार प्रदान करने के लिए संचालन कर्ताओं द्वारा स्वसहायता समूह के माध्यम से काउ लिफ्टिंग मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। यह मशीन हरियाणा से मंगाई गई है, जिससे बीमार गौवंश को सुविधाजनक तरीके से उठाकर उन्हें उपचार प्रदान किया जा सकेगा।

इसी प्रकार से ग्राम टर्राकला गौशाला में समूह द्वारा गायों को भूसा एवं चारा आसानी से सुलभ कराने तथा गोबर के उठाव के लिये घोड़ा गाड़ी बनवाई गई है। ग्राम झिरन्या में समूह द्वारा की चक्की स्थापित की गयी है जिससे गायों के लिये बाट की व्यवस्था की जाती है।

गोशालाओं में सुविधाओं एवं संचालन के संबंध में प्रत्येक माह सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद द्वारा समीक्षा की जा रही है, जिससे गौशालाओं के संचालन की व्यवस्थाएं बेहतर हो रही है। उन्होंने जिलें की गौशालाओं को सुविधा संपन्न बनाने तथा गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत संचालित स्व सहायता समूहों को जो गौशाला का संचालन कर रहे है, कार्ययोजना बनाकर कार्य करने हेतु निर्देशित किया है। इसी का परिणाम है कि गौशालाओं में स्वा सहायता समूहों द्वारा अपने स्तर पर गोवंश का बेहतर रखरखाव एवं प्रबंधन किया जा रहा है।

श्योपुर विकासखण्ड के ग्राम मानपुर की गौशाला में समय-समय पर विभिन्न कारणो से गोवंश के बीमार होने के कारण वह खडे नही हो पाते थे। मानपुर गोशाला से जुडे कोमल खंडेलवाल ने बताया कि गौवंश के प्रबंधन एवं उन्हें उचित उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से स्वं सहायता समूह की महिला सदस्यों द्वारा 75 हजार रूपये की लागत से काउ लिफ्टिंग मशीन खरीदी गई है। झिरन्या, नागदा, टर्राकलॉ, श्यामपुर, मानपुर, गॉवडी, बरगवॉ इत्यादि गोशालाओं में स्व् सहायता समूहों द्वारा हरे चारे की व्यवस्था गोवंश के लिये की गयी है तथा नियमित रूप से गोवंश को हरा चारा खिलाया जा रहा है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद ने बताया कि जिले की गोशालाओं में हरा चारा उत्पादन, वर्मी कम्पोस्ट निर्माण एवं बायोगेस स्थापना की कार्ययोजना बनायी गयी है तथा यह प्रयास किये जा रहे है कि सभी गौशालाओं में गोवंश को बारह मास हरे चारे की उपलब्धता हो सके एवं गौशाला में रहने वाले परिवार को बायोगैस के उपयोग से जोड़ा जायेगा। उन्होने बताया कि श्योपुर जिलें में 24 गोशालाओं का संचालन महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है।

सीईओ की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित

श्योपुर, 15 मई। सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद की अध्यक्षता में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित बैठक के दौरान जनपद पंचायत श्योपुर, कराहल एवं विजयपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, परियोजना अधिकारी, एपीओ, एलडीएम, आजीविका मिशन के अधिकारी एवं संबंधित शाखा प्रभारी उपस्थित रहे। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से भी संबंधित अधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित की गई। सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद ने बैठक के दौरान अतिरिक्त आंगनबाड़ी भवन, सामुदायिक भवन, आवास एवं अन्य विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। इस अवसर पर उनके द्वारा लंबित टी.एल. प्रकरण, जनशिकायतें, सीएम हेल्पलाइन, हाईकोर्ट प्रकरण, विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा की गई तथा सभी संबंधित अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने, नियमित मॉनिटरिंग करने एवं विभागीय कार्यों में गुणवत्ता एवं प्रगति बनाए रखने के निर्देश दिए।

घर-घर योग हर व्यक्ति निरोग अभियान संचालित

श्योपुर, 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को दृष्टिगत रखते हुए श्योपुर जिले में कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा के निर्देशानुसार आयुष विभाग द्वारा घर-घर योग हर व्यक्ति निरोग अभियान संचालित कर योग अभ्यास किया जा रहा है। जिला आयुष अधिकारी डॉ. जीपी वर्मा ने बताया कि जिला स्तर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी योग अभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है।

मौके पर पहुंची सीईओ, शुरू कराई जलप्रदाय व्यवस्था

श्योपुर, 15 मई। कलेक्टर के निर्देशानुसार सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद द्वारा आदिवासी विकासखण्ड कराहल की ग्राम पंचायत हीरापुर के ग्राम हनुमानखेडा पहुंचकर पेयजल व्यवस्था को सुचारू कराने की कार्यवाही की गई।

उन्होंने मौके पर उपस्थित बिजली विभाग के अधिकारियों के माध्यम से बिजली व्यवस्था को बहाल कराया गया तथा पेयजल व्यवस्था सुचारू की गई। इस दौरान पीएचई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।

कृषि रथ के माध्यम से जागरूकता अभियान आज से

श्योपुर, 15 मई। मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, इसी क्रम में श्योपुर जिले में किसानों को कृषि संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से तीनों विकासखण्डों में कृषि रथ के माध्यम से जागरूकता अभियान की शुरूआत 16 मई से की जा रही है।

उप संचालक कृषि जीके पचौरिया ने बताया कि कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा के मार्गदर्शन में जिले के तीनो विकास खण्डों में एक-एक कृषि रथ का संचालन किया जायेगा। यह रथ 16 मई से 25 मई तक विकासखण्ड क्षेत्र के ग्रामों में जैविक एवं प्राकृतिक खेती, कृषि क्षेत्रों का विस्तार, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, एकीकृत पोषक तत्व, कीट एवं रोग प्रबंधन, कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के उपाय, फसल विविधीकरण को बढावा देने, विभागीय कृषि योजनाओं के प्रचार-प्रसार, प्रधानमंत्री धन-धान्य् कृषि योजना, ई-विकास प्रणाली अंतर्गत ई-टोकन उर्वरक वितरण व्यवस्था, पराली प्रबंधन आदि विषयों के संबंध में कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से किसानों को जानकारियों प्रदान की जायेगी। इन रथों के लिए तकनीकी दलों का गठन भी किया गया है। जिसमें कृषि विभाग, कृषि अभियांत्रिकी, कृषि वैज्ञानिक, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग के अधिकारी रहेंगे।

सम्बन्ध विच्छेद सूचना
शपथ-पत्र

हम शपथकर्ता- 1. बाबूलाल पुत्र श्री जगन्नाथ उम्र 59 साल जाति वैष्णव निवासी- मुक्तिनाथ नगर वार्ड 11 श्योपुर, जिला श्योपुर म.प्र.

2. गायत्री पत्नी बाबूलाल उम्र 55 साल जाति वैष्णव मुक्तिनाथ नगर वार्ड 11 श्योपुर जिला श्योपुर

हम शपथपूर्व सत्य कथन करते हैं कि यह कि हम शपथकर्तागण का पुत्र सुरेश वैष्णव पुत्र बाबूलाल निवासी

मुक्तिनाथ नगर वार्ड नं. 11 श्योपुर, जिला-श्योपुर म.प्र. एवं उसकी पत्नी सुमन वैष्णव पत्नी सुरेश वैष्णव निवासी मुक्तिनाथ नगर वार्ड नं .11 श्योपुर जिला श्योपुर म.प्र का व्यवहार हमारे प्रति बहुत ही अभद्र है एवं आये दिन आपस में लड़ाई झगड़ा कर परिवार के लोगों को परेशान करते हैं जिससे हम लोग परेशान एवं दुखी हो गये है एवं आये दिन लड़ाई-झगड़ा करने से समाज में हमारे मान-सम्मान में कमी आ रही है. उक्त लोगों का क्रूर व्यवहार होने से हम अत्यधिक दुखी हो गये हैं हमारे द्वारा काफी समझाने पर भी उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया है। उक्त लोग हमें आये दिन झूठे मामले में फंसाने की धमकी देते हैं। सुरेश वैष्णव एवं सुमन वैष्णव अगर कोई ऐसे कार्य में संलिप्त होते हैं जो कानून विरुद्ध हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी इसलिए हम शपकर्तागण ने निर्णय लिया है कि हम शपथकर्तागण अपने पुत्र एवं पुत्र वधु सुरेश वैष्णव एवं सुमन वैष्णव से आज दिनाक 13.05.2026 को पूर्ण होशो हवास से हर प्रकार से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से समाज एवं गवाहों के समक्ष सभी प्रकार से सम्बंध विच्छेद करने की घोषणा करते हैं। साथ ही हम अपनी सभी चल व अचल सम्पत्ति से अपने पुत्र व पुत्र वधु का सभी प्रकार हक समाप्त करते है तथा अपनी जायदाद से बेदखल करते है भविष्य में हमारे पुत्र व पुत्र वधु सुरेश वैष्णव एवं सुमन वैष्णव का हमारी चल व अचल संपत्ति में किसी प्रकार हक व अधिकार नहीं रहेगा इस बात की हम शपथकर्तागण पूर्ण होशोहवास में यह घोषणा पत्र निष्पादित करा रहे हैं। यह कि हमारे पुत्र एवं पुत्र वधु सुरेश वैष्णव एवं सुमन वैष्णव से सम्बंध विच्छेद करने की घोषणा हेतु यह शपथ पत्र गवाहों के समक्ष दे रहे हैं जो वक्त जरूरत काम आये।

स्थान-श्योपुर
दिनाक-13.05.2026

आम-सूचना

श्री रमेश सिंह जाट पुत्र श्री भंवरलाल उर्फ रतनलाल एवं श्रीमती रामा जाट पत्नी श्री कुलदीप जाट के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भवन, स्थित ग्राम तलावडा, प.ह.तलावडा, तहसील एवं जिला श्योपुर (म.प्र.) है जो भूमि सर्वे क्र.70(बी), ब्लॉक क्र.37(पी) ग्राम तलावडा का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 88.00 वर्गमीटर है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :-पूर्व में-भवन श्री शंकर कुशवाह, पश्चिम में-भवन भगत सिंह, उत्तर में खाली प्लॉट पंकज जाट एवं दक्षिण में-रास्ता है। उक्त सम्पत्ति पूर्व में भू-राजस्व रिकॉर्ड वर्ष 2022-23 के अनुसार, श्री रमेश सिंह जाट पुत्र श्री भंवरलाल उर्फ रतनलाल के स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री रमेश सिंह जाट द्वारा उक्त सम्पत्ति के संबंध में श्रीमती रामा जाट पत्नी श्री कुलदीप जाट के हित में ई-रजिस्टर्ड सहस्वामित्व विलेख क्र. एमपी26आईजीआर 18592026ए100568665 दिनांक 14.05.2026 को सम्पादित किया गया। उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित वर्ष 2022 से पूर्व कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। श्री रमेश सिंह जाट एवं श्रीमती रामा जाट द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार इण्डिया शैल्टर फायनेंस कॉर्पोरेशन लि. ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था,निगम अथवा निकाय को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर अथवा वर्ष 2022 से पूर्व का कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज उपलब्ध होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृप्या सूचित हो।

प्रेषक- **नीरज जैन** (एडवोकेट)
कार्या. भवन क्र .52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.)
मो.नं. 98276-72710